


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.6(6)/एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत विकलांग प्रमाण पत्र एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की अनुशंषा के आधार पर श्री आत्मा राम, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, घमूड़वाली-पदमपुर जिला श्रीगंगानगर को दिनांक-18.12.2019 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6 %) किन्तु जो 600/- (छः सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2018

दिनांक- 14.1.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) बीकानेर संभाग, बीकानेर

2-मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ., समग्र शिक्षा अभियान, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर


3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु

4-प्रधानाचार्य, राउमावि, घमूड़वाली-पदमपुर जिला श्रीगंगानगर को श्री आत्मा राम, व्याख्याता (हिन्दी) का

मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)

5-श्री आत्मा राम, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, घमूड़वाली-पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

6-रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर